# न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## (पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

**अपील संख्या 218/2016** **दायरा दिनांक : 22.11.2016**

**उनवान**

सलीम खां वल्द सिकन्दर खां जाति मुसलमान निवासी उचावदा तहसील अकलेरा जिला झालावाड

.... अपीलांट

**बनाम**

1— लतीफन बी पुत्री सिकन्दर जोजे बशीर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी उचावदा तहसील अकलेरा हाल निवासी बकानी जिला झालावाड

2— महबूब खां वल्द सिकन्दर खां जाति मुसलमान निवासी उचावदा तहसील अकलेरा जिला झालावाड

3— शरीफ खां वल्द सिकन्दर खां जाति मुसलमान निवासी उचावदा तहसील अकलेरा जिला झालावाड

4— सरीफन बी पुत्री सिकन्दर खां जोजे शब्बीर भाई जाति पठान मुसलमान निवासी लुहार मोहल्ला झालावाड

5— रूकसाना बी पुत्री सिकन्दर खां जाति मुसलमान निवासी उचावदा तहसील अकलेरा जिला झालावाड

6— कल्लो बी पुत्री सिकन्दर खां जोजे नफीक खां जाति मुसलमान निवासी खिलचीपुर जिला राजगढ मध्य प्रदेश

7— जरीना बी पुत्री सिकन्दर खां जोजे ताज मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी भालता तहसील अकलेरा जिला झालावाड

8— शाखा प्रबन्धक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा घाटोली जिला झालावाड

9— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अकलेरा जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री नरेन्द्र गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री सी पी खण्डेलवाल एवं श्री रविशंकर विजय अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

**निर्णय दिनांक : 05.03.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या — 42/1/दावा/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 10.06.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नम्बर 1 के द्वारा अपीलांट एवं अन्य के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर यह कथन किया गया कि ग्राम उचावदा, तहसील अकलेरा में नयी खतौनी संख्या 92 पुरानी 113 की आराजी खसरा नम्बर 53 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 76 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 79 रकबा 8 बीघा, खसरा नम्बर 143 रकबा 17 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 151 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 152 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 153 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 159 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 266

रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 298 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 299 रकबा 10 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 300 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 301 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 346 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा कुल 14 किता की 60 बीघा 2 बिस्वा आराजी स्थित है जिसमें प्रत्येक सहखातेदार का 1/8 हिस्सा है । शामलाती खाते में आराजी रहने से आये दिन झागडा हाता रहता है । अतः वादिनी का दावा स्वीकार कर वादिनी का 1/8 हिस्सा पृथक से दर्ज किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10.06.2016 को दावा वादिनी डिक्री किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10.06.2016 को प्रारम्भिक डिक्री जारी कर उसी दिन अंतिम डिक्री जारी की है । अपीलांट को सुनवायी का अवसर नहीं दिया है । सी पी सी की पालना नहीं की है । फाईनल डिक्री जारी करने से पूर्व नियम 18 से 21 की पालना नहीं की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 08.11.2016 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रारम्भिक डिक्री और अंतिम डिक्री एक ही दिन को जारी की है । अपीलांट को आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया है । राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना नहीं की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि इस न्यायालय के द्वारा प्रकरण मुस्लिम विधि के अनुसार हिस्से तय करने हेतु रिमाण्ड किया गया था । प्रारम्भिक डिक्री के खिलाफ अपील पेश नहीं की है । अंतिम डिक्री में क्या गलती है यह नहीं बताया है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अपील अंतिम डिक्री के खिलाफ पेश की गई है । पत्रावली का परीक्षण अंतिम डिक्री के परिप्रेक्ष्य में ही किया जा रहा है । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10.06.2016 में प्रारम्भिक डिक्री और उसी दिन को अंतिम डिक्री जारी की है जबकि विधिक प्रावधानों के अनुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी करने के उपरान्त तहसील से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त होने पर पक्षकारों को आपत्ति पेश करने का अवसर दिया जाना राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में आवश्यक होता है । पत्रावली पर सलंग्न बंटवारा प्रस्ताव का भी अवलोकन किया गया । बंटवारा प्रस्ताव पटवारी और आई एल आर के द्वारा तैयार कर तहसीलदार के समक्ष रखे हैं जबकि राजस्व मण्डल नियम के अनुसार तहसीलदार को

स्वयं मौके पर जाकर बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने चाहिए । बंटवारा प्रस्ताव पर किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं है । इस प्रकार अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व राजस्व मण्डल नियमों की पालना नहीं की गई है जो त्रुटिपूर्ण है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट विरूद्ध अंतिम डिक्री आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय और अंतिम डिक्री दिनांक 10.06.2016 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में तहसीलदार से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त कर बंटवारा प्रस्ताव पर उभयपक्ष को आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से अंतिम डिक्री पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 10.05.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा